बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर संविदा आधारित नियोजन संबंधी विज्ञापन

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार के अंतर्गत मुख्यालय एवं राज्य के विभिन्न काराओं में e-prison परियोजना अंतर्गत अधिष्ठापित ERP System के सफल परिचालन तथा काराओं में अधिष्ठापित होने वाले CCTV के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में Online आवेदन गृह विभाग (कारा) के Website: **www.home.bih.nic.in/PrisonFiles/Home_prison.htm** के Notice Board पर आमंत्रित किए जाते हैं। Online भरने की विस्तृत जानकारी गृह विभाग (कारा) के Website: **www.home.bih.nic.in/PrisonFiles/Home_prison.htm** अथवा **www.ipcsonline.co.in** पर उपलब्ध है।

Online रजिस्ट्रेशन दिनांक 26.09.2016 से 05.10.2016 तक किया जा सकता है।

1. **पदों की कोटिवार रिक्तियाँ एवं मानदेय निम्नवत् है:-**

क्र. सं.	पद का नाम	कुल पद	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	पि.व.	पि.व. की महिला	मानदेय	
									पटना / मुख्यालय के लिए	पटना के अलावा अन्य स्थान के लिए
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	प्रोग्रामर	10	5	2	–	2	1	–	34545	33135
2	सहायक प्रोग्रामर	43	22	7	–	8	5	1	34545	33135
3	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	352	176	56	4	63	42	11	18620	17860

2. **शैक्षणिक एवं आवश्यक योग्यताएँ:-**

2.1 **प्रोग्रामर:-**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री इन कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग तथा एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 (आई0टी0) के साथ तीन वर्षों का डाटा प्रोसेसिंग का अनुभव अनिवार्य होगा।

2.2 **सहायक प्रोग्रामर :-**

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 (आई0टी0) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ पी0जी0डी0सी0ए0 एवं दो वर्षों के डाटा प्रोसेसिंग के अनुभव का होना अनिवार्य होगा।

2.3 **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर :-**

(i) इन्टर उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

मैट्रिक उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त पोलिटेक्नीक से कम्प्यूटर साईंस में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद द्वारा Computer Science & Engineering/Computer Application/ Information Technology शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) M.S. Office का ज्ञान अनिवार्य।

(iii) टंकण गति- हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट। (सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर टंकण गति सीमा को क्षान्त किया जा सकता है)

3. **उम्र सीमा:-**

(i) न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष। आयु की गणना दिनांक 01.10.2016 के आधार पर की जाएगी।

(ii) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु अधिकतम आयु सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुसार अधिकतम-(1) अनारक्षित (पुरूष)-37 वर्ष। (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जाएगी। (3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(iii) प्रोग्रामर पद के लिए उपर्युक्त आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट एवं सहायक प्रोग्रामर पद के लिए उपर्युक्त आयु सीमा में 08 (आठ) वर्ष की छूट होगी। (अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 01.10.2016 के आधार पर की जाएगी)

ह0/- 15/9/16

(शिवेन्द्र प्रियदर्शी),
उप महानिरीक्षक (प्र0)
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर संविदा आधारित नियोजन संबंधी विज्ञापन

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार के अंतर्गत मुख्यालय एवं राज्य के विभिन्न काराओं में e-prison परियोजना अंतर्गत अधिष्ठापित ERP System के सफल परिचालन तथा काराओं में अधिष्ठापित होने वाले CCTV के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में Online आवेदन गृह विभाग (कारा) के Website: **www.home.bih.nic.in/PrisonFiles/Home_prison.htm** के Notice Board पर आमंत्रित किए जाते हैं। Online भरने की विस्तृत जानकारी गृह विभाग (कारा) के Website: **www.home.bih.nic.in/PrisonFiles/Home_prison.htm** अथवा **www.ipcsonline.co.in** पर उपलब्ध है।

Online रजिस्ट्रेशन दिनांक 26.09.2016 से 05.10.2016 तक किया जा सकता है।

विस्तृत सूचनाएँ निम्नवत् हैः–

1. **पदों की कोटिवार रिक्तियाँ एवं मानदेय निम्नवत् हैः–**

क्र. सं.	पद का नाम	कुल पद	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	पि.व.	पि.व. की महिला	मानदेय	
									पटना/ मुख्यालय के लिए	पटना के अलावा अन्य स्थान के लिए
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	प्रोग्रामर	10	5	2	–	2	1	–	34545	33135
2	सहायक प्रोग्रामर	43	22	7	–	8	5	1	34545	33135
3	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	352	176	56	4	63	42	11	18620	17860

2. **शैक्षणिक एवं आवश्यक योग्यताएँः–**

2.1 प्रोग्रामरः–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री इन कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग तथा एम०सी०ए०/एम०एस०सी० (आई०टी०) के साथ तीन वर्षों का डाटा प्रोसेसिंग का अनुभव अनिवार्य होगा।

2.2 सहायक प्रोग्रामरः–

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०सी०ए०/बी०एस०सी० (आई०टी०) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ पी०जी०डी०सी०ए० एवं दो वर्षों के डाटा प्रोसेसिंग के अनुभव का होना अनिवार्य होगा।

2.3 **डाटा इन्ट्री ऑपरेटरः–**

(i) इन्टर उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

मैट्रिक उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त पोलिटेक्नीक से कम्प्यूटर साईंस में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद द्वारा Computer Science & Engineering/Computer Application/ Information Technology शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) M.S. Office का ज्ञान अनिवार्य।

(iii) टंकण गति–हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट। (सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर टंकण गति सीमा को क्षान्त किया जा सकता है)

3. **उम्र सीमाः–**

(i) न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष एव अधिकतम 37 वर्ष। आयु की गणना दिनांक 01.10.2016 के आधार पर की जाएगी।

(ii) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु अधिकतम आयु सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुसार अधिकतम–(1) अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष। (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जाएगी। (3) अनारक्षित (महिला)–40 वर्ष (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(iii) प्रोग्रामर पद के लिए उपर्युक्त आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट एवं सहायक प्रोग्रामर पद के लिए उपर्युक्त आयु सीमा में 08 (आठ) वर्ष की छूट होगी। (अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 01.10.2016 के आधार पर की जाएगी)

4. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त्त एवं निर्देशः–**

(क) प्रारंभिक परीक्षा हेतु Online आवेदन के समय किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

(ख) कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट Website: www.home.bih.nic.in/PrisonFiles/Home_prison.htm अथवा www.ipcsonline.co.in के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

(ग) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) Online आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए Help Line No. 7290042892 एवं 7290042893 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(ड.) Online आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:–

i. 7290042892

ii 7290042893

(च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No. 7290042894 पर संपर्क किया जा सकता है।

(छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्टि करेंगे।

(ज) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(ट) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(ठ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र Online आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

(ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(त) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(थ) प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों हेतु निर्धारित योग्यता संबंधी सूचना Online आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपर्युक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। Online आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

5. परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी–400 रूपये।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)– 100 रूपये।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक 10190 दिनांक 25.07.2016 के आलोक में महिला वर्ग/विकलांग अभ्यर्थी के लिए– 100 रूपये।

(घ) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु –400/– रूपये।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge)एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा। यथा ऑनलाईन (Credit Cart/Debit Card/Netbanking) माध्यम से रूपये 400/– की परीक्षा शुल्क पर रूपये 25/– अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज (सभी कर सहित) अभ्यर्थी द्वारा कुल 425/– रूपये देय होगा। उसी प्रकार ऑनलाईन (Credit Cart/Debit Card/Netbanking) माध्यम से रूपये 100/– की परीक्षा शुल्क पर रूपये 15/– अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज (सभी कर सहित) अभ्यर्थी द्वारा कुल 115/– रूपये देय होगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक 26.09.2016 से 05.10.2016 तक निर्धारित अवधि में समर्पित करेंगे। अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क अदा करने से संबंधित प्रमाण पत्र (पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा मांगे जाने पर समर्पित करेंगे।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जायेंगे। साथ ही, परीक्षा शुल्क अहस्तांतरणीय होंगे।

6. आरक्षणः–

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वार क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये जाने वाला क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्गत होना चाहिए।

7. **अन्यान्यः–**

(i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत किया जायेगा। प्रवेश पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी। किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के बिन्दु पर कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा।

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा वर्णित तीनों पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तो उसे तीनों पदों के लिए अलग–अलग ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करना एवं अलग–अलग निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

8. **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents of documents which have been tempered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/Interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Inspector General of Prisons & Correctional Services, Bihar, Patna. of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or

(ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any from will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाहीः–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी Stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

9. **अंतिम तिथिः– ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक 26.09.2016 से 05.10.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server time) तक निर्धारित है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

वर्णित पदों पर परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि बाद में अलग से घोषित की जायेगी, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को ई–मेल/S.M.S.के माध्यम से भेजी जाएगी तथा Website पर भी यह सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की ई–मेल/S.M.S. नहीं मिल पाता है, तो इस संबंध में निरीक्षणालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

(signature) 15/9/16
(शिवेन्द्र प्रियदर्शी),
उप महानिरीक्षक (प्र0)
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।